म्बर व तारीख
हकाम जो इस
क्म की तामील में
ारी हुए

न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या– 14/2012

1. बद्रीलाल पुत्र हमीर जी ब्राह्मण
2. श्री मति सोहनी देवी पत्नी स्व0 श्री औकार जी ब्राह्मण
3. मदनलाल पुत्र स्व0 श्री औकार जी ब्राह्मण
4. रामचन्द्र पुत्र स्व श्री औकार जी ब्राह्मण
   चारो जाति ब्राह्मण एंव निवासीगण ग्राम – जालिया द्वितीय, वाया – बिजयनगर तहसील – मसूदा, जिला – अजमेर।
5. श्री मति कमला पुत्री स्व0 श्री औकार जी ब्राह्मण पत्नी श्री जगदीश जी ब्राह्मण निवासीनी ग्राम – कीडीमाल, तहसील – आसीन्द जिला – भीलवाडा।
6. श्री मती अयोध्या पुत्री स्व0 श्री औंकार जी ब्राह्मण पत्नी श्री राधेश्याम जी ब्राह्मण निवासीनी ग्राम – कीडीमल, तहसील – असीन्द जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति सावित्री पुत्री स्व0 श्री औकार जी ब्राह्मण पत्नी श्री रामेश्वर जी ब्राह्मण निवासीनी ग्राम – मोटरास, तहसील – आसीन्द, जिला भीलवाडा।
8. श्री मती लाली पुत्री स्व0 श्री औकार जी ब्राह्मण पत्नी श्री गोपाल जी ब्राह्मण निवासीनी ग्राम – मोटरास, तहसील – आसीन्द, जिला भीलवाडा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मती पारस देवी पत्नी स्व0 श्री मांगू जी ब्राह्मण
2. श्री मती सीता पुत्री स्व0 श्री मांगू जी पत्नी श्री रमेश जी ब्राह्मण
   दोनो जाति ब्राह्मण एंव निवासीगण ग्राम – जालिया द्वितीय, वाया – बिजयनगर, तहसील – मसूदा, जिला अजमेर
3. राज0 सरकार जरिये श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय– बिजयनगर, तहसील– मसूदा, जिला अजमेर
4. राज0 सरकार जरिये श्री मान तहसीलदार महोदय, मसूदा, तहसील– मसूदा जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांकः–09.11.2016

प्रार्थीगण ने इस प्रा0 पत्र मे साराशंत निवेदन किया है कि ग्राम जालिया ।। स्थित आराजी ख0न0 789 रक्बा 2–17–00 व 791 रक्बा 0–19–00 व 792 रक्बा 0–18–00 तथा 788 रक्बा 2–05–00 कुल किता 4 रक्बा 6–19–00 कर मे प्रतिवादी स0 1 व 2 के पति/पिता स्व0 मांगीलाल वल्द गणेश खातेदार काश्तकार थे। और उन्होने इस आराजियात को वादी स0 1 बद्री लाल व वादीगण 2 से 8 के पिता/पति स्व0 श्री औकार पुत्र जगन्नाथ को दिनांक 6.01.1976 को बेचान कर कब्जा भूमि मौके पर संभला दी थी। जिस बाबत कोई विवाद नही रहा। राजस्व रेकार्ड की नकले निकाले जाने पर प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम पाई गई। खरीदने के बाद अज्ञानतावश

राजस्व अभिलेख मे अमल नही कराया। विक्रय दस्तावेज मे ख0न0 792 के स्थान 793 अंकित कर दिया गया है इसलिए 792 किया जाना न्यायोचित है। विवादित भूमिया साबिक ख0न0 331 से बनी है जो अभिलेख से स्पष्ट है। प्रथम दृष्टिया केस एंव सहूलियत का संतूलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। एसी स्थिती मे अप्रार्थी स0 1 व 2 प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगें तो उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। अतः ताफैसला वाद के अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण को बेदखल करने से निषेध किया जावे।

जवाब प्रा0 पत्र मे अप्रार्थी स0 1 व 2 ने प्रा0 पत्र कथन नकारते हुए कथन किये है कि स्व0 मांगीलाल जी ने दिनांक 06.01.1976 को प्रार्थीगण के पक्ष मे कोई बेचाननामा नही किया। उनकी मुत्यू परांत यह कुट रचित दस्तावेज तैयार कर यह वाद प्रस्तुत किया है। यदि किया होता तो प्रार्थीगण के नाम भूमि लगी होती यह तो मांगीलाल के वारिसो के नाम लगी है। प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा नही है। मांगीलाल ने बेचान नही किया । जल्दबाजी मे नम्बर गलत लिखे है। जिसे सशोंधित करने के अधिकार इस न्यायालय को नही है। प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

बहस प्रा0पत्र विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्षान सुनी गई। वादीगण के अभिभावक के तर्क रहे कि उनके हक मे विवादित भूमि की रजिस्ट्री ब्यावर मे हुई। मिलान क्षेत्रफल से रक्बा व नम्बर मिलान खाते है। अप्रार्थी 1 व 2 के नाम विरासत लगने से विवाद है। ख0न0 792 है जो 793 टाईप हुआ है मिलान क्षेत्रफल अनुसार दुरस्त किया जाना है। प्रा0 पत्र स्वीकार किया जावे। विर्तक मे अप्रार्थी स0 1 व 2 के वकील ने कथन किया कि विवादित आराजियात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है। मांगीलाल ने अपने जीवन का कभी बेचान नही किया। प्रा0 पत्र खारिज कया जावे।

मैने उभय पक्षान के तर्क विर्तक पर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी मे अप्रार्थी स0 1 व 2 खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य बेचाननामे की छाया प्रति पेश की है उस पर पंजीयन संबधी कोई स्पष्ट अंकन नही है। जो साक्ष्य मे ग्राहय योग्य नही है। प्रकरण मे न्याय निर्णय उभय पक्षान को सुनकर स्थिति स्पष्ट होने पर होना है लेकिन वर्तमान स्थिति मे दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अंतरिम आदेश दिनांक 22.02.2012 को आगे बढाया जाना अथवा कनफर्म किया जाना न्यायोचित नही पाया जाता अतः प्रा0 पत्र प्रार्थीगण सव्यय निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.11.2016 को न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मसूदा (अजमेर)

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 17:51:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: